न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:–19 / 2022 तारीख रजू:–06.07.2022

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2023 / 81

पीठासीनअधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. चाँदी पत्नि प्रहलाद कुम्हार, निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2. बदाम पत्नि रामधन कुम्हार, निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
3. सिम्पल पत्नि आत्माराम कुम्हार, निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाडा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. बद्री पुत्र प्रभुलाल रावणा राजपूत
2. छीतर पुत्र आनन्दा बैरवा

समस्त निवासीयान सारसोप ग्राम पंचायत सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपस्थित–

वकील प्रार्थी:– श्री हरिराम प्रजापत, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी सं.1:–श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट

अप्रार्थी सं.2:– एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक:–25.11.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट

–: निर्णय :–

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि –

- प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि मुताबिक जमाबन्दी संख्या 2073–76 के अनुसार ग्राम सारसोप पटवार हल्का सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर के खाता संख्या 192 का खसरा नम्बर 3842 रकबा 2.0000 है० किस्म बारानी 2, 1 कुल रकबा 2.0000 है० भूमि स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.26 11:10:35 IST
Reason: SelfAttested.

- प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि के सटवा अप्रार्थीगण सं. 1 का खसरा न. 3841 व अप्रार्थी सं. 2 का खसरा न. 3843 स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि को दबाने के उद्देश्य से अप्रार्थीगण ने उनके खेतों के मध्य बनी हुई वर्षो पुरानी मेड तोड दी है। एवं धीरे–धीरे उक्त भूमि को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में उक्त भूमि की पत्थरगडी होना अतिआवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

➢ प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि पर वर्तमान में कोई दावा, अपील, निगरानी, किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है ना ही कोई स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। अतः पत्थरगडी में या माप करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

➢ यह कि उक्त वर्णित भूमि में वर्तमान में कोई फसल या बगीचा नहीं है। अतः पत्थरगडी में या माप करने में कोई बाधा नहीं है।

➢ उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम सारसोप पटवार हल्का सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर मे स्थित है। एवं उक्त भूमि के स्वामी भी ग्राम सारसोप में निवास करते हैं। जिससे श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

➢ अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।
3. अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध दिनांक 21.05.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

➢ प्रार्थिया का कोई कब्जा नहीं होने के कारण पत्थर गढी करवाने कोउसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

➢ प्रार्थिया की खातेदारी भूमि 3842 रकबा 2.00 है0 व मुझ विपक्षी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3841 रकबा 1.00 है0 के बीच में काफी पुरानी मेड बनी हुई है और प्रार्थिया ने जिससे उक्त भूमि खरीद की है उसने व मुझ विपक्षी ने वाकायदा नाप करवाकर मेड के बीच में पत्थरो के चीरे गाडकर तार फेन्सिग करवाई है जो आज तक तार फेन्सिग हो रही है। लेकिन प्रार्थिया यह जानते हुऐ कि तारफेन्सिंग हो रही है उसके बावजूद भी प्रार्थिया ने यह गलत एवं निराधार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है जो निरस्त होने योग्य है।

➢ प्रार्थिया का उसकी खातेदारी भूमि पर न तो कोई कब्जा है और न ही उसने काश्त किया है इसलिए उसको प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है तथा प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है।

➢ अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मुझ विपक्षी के विरुद्ध मय खर्चे के खारिज [illegible] करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.26 11:10:35 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक [illegible] 2025/945 दिनांक 21.05.2025 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की [illegible] निम्नानुसार है–

- मुताबिक जमाबन्दी वाके ग्राम सारसोप के खसरा न[illegible] 3842 रकबा 2.00 है0 किस्म बारानी 2 चांदी पत्नि प्रहलाद हिस्सा 3/8, बदाम देवी पत्नि रामधन 3/8, सिम्पल पत्नि आत्माराम हिस्सा 1/4 जातियान कुम्हार के नाम खातेदारी दर्ज है।
- खसरा नम्बर 3842 के दक्षिणी मेड के खसरा नम्बर 3841 रकबा 1.00 है0 पर अप्रार्थी संख्या 01 बद्री पुत्र प्रभुलाल जाति रावणा राजपूत की खातेदारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

दर्ज है जिस पर विवाद की स्थिति है। खसरा नम्बर 3842 का लगभग 0.04 है0 भूमि पर अप्रार्थी बद्री पुत्र प्रभुलाल द्वारा कब्जा किया हुआ है जिसकी प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाना चाहते है। खसरा नम्बर 3842 की उत्तरी मेड के खसरा नम्बर 3843 रकबा 0.84 है0 छीतर पुत्र आनन्दा जाति बैरवा के नाम खातेदारी भूमि है। उक्त खसरा नाम्बर की पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 3606 रकबा 0.37 है0 सिवायचक स्थिति है जिसमें मौके पर रास्ता बना हुआ है तथा रास्ते के उपयोग में आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर की पश्चिमी दिशा में प्रार्थी संख्या 03 सिम्पल पत्नि आत्माराम की खातेदारी भूमि है।

6. प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस उन्होने प्रार्थना पत्र एवं जवाब में अंकित कथनों का दोहरान किया।
7. मैंने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

ग्राम सारसोप की स्थायी जमाबंदी मार्च 2022 के खाता संख्या 192 के अनुसार प्रार्थीगण विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार हैं, जिसके 0.04 है0 पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है। विवादित आराजीयात के पास अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2841 स्थित है, जिस कारण विवादित आराजीयात पर उभयपक्षों में कब्जे संबंधी विवाद न होकर सीमा संबंधी विवाद है। मौके पर आवेदित खसरे की सीमा नक्शे अनुरूप सही स्थापित न होने के कारण सीमा से सटे भू–भाग पर कब्जा आवेदक खातेदार का न होकर सीमावर्ती खातेदार का हो सकता है। जिसके कारण सीमा विवाद उत्पन्न होता है। अतः हस्तगत प्रकरण में पत्थरगढ़ी करते हुए सीमा विवाद का निपटारा किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा के खसरा नंबर 3842 रकबा 2.00 है0 भूमि की उपभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जाये। पत्थरगढी करवाये जाने का नियमानुसार समस्त खर्चा प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा। निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स.मा.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.26 11:10:35 IST
Reason: SelfAttested